

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.  
मिसल नं. :::: 37 / 2017

सरकार बनाम मुकेश पुत्र रामनिवास, जाति-कुम्हार,  
निवासी- धिंधवा बिचला

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 10.03.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका भाई धर्मवीर उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल मुकेश पुत्र रामनिवास, जाति-कुम्हार, निवासी- धिंधवा बिचला द्वारा रोही मौजा धिंधवा बिचला की राजकीय भूमि ख.नं. 32 कुल रकबा 18.3130 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है0 भूमि पर कुरड़ी डलाकर एवं छड़ी, बाड़ लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके भाई धर्मवीर ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि वह स्वयं अतिक्रमण हटा लेगा। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सो 4 के पृष्ठ सं.....45.....पर  
.../6.../7...में रुपये...6/...कायम कि.  
राजस्व लेखाकार

*Ra'*  
(मांगेराम पूनिया)  
तहसीलदार, सूरजगढ़